राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. चुनाव याचिका संख्या 2/2024

जीतेन्द्र कुमार, पिता स्व. श्री नानूराम जी खटीक, उम्र लगभग 47 वर्ष, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) पता: कुमरिया खेड़ा, पोस्ट नमाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राजस्थान)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री विश्वराज सिंह, पिता श्री महेंद्र सिंह जी मेवाड़, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) / विधायक नाथद्वारा, पता: समोर बाग, उदयपुर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर (राजस्थान)

2. श्रीमती महमा कुमारी, पत्नी श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, पिता श्री महेंद्र सिंह जी मेवाड़, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) पता: समोर बाग, उदयपुर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर (राजस्थान) 313001

3. श्री सी.पी. जोशी, पिता भूदेव प्रसाद जोशी, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) पता: मकान संख्या 42, बगरवाड़ा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राजस्थान)

4. श्री बाबूलाल सालवी, पिता श्री भूरा सालवी, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) पता: 214, सालवी मोहल्ला, गांव एमड़ी, तहसील और जिला राजसमंद (राजस्थान)

5. श्री मोती सिंह चडाना, पिता श्री उदय सिंह चडाना, (विधानसभा प्रत्याशी 2023, विधानसभा क्षेत्र 176) पता: वेर की भागल, गांव, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राजस्थान)

6. जिला चुनाव अधिकारी / जिला कलेक्टर, राजसमंद, तहसील और जिला राजसमंद (राजस्थान)

7. रिटर्निंग ऑफिसर / उप-निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा चुनाव, नाथद्वारा (176) - 2023, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राजस्थान)

8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य, जयपुर (राजस्थान)

---- प्रतिवादी

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	श्री जितेन्द्र कुमार खटीक, याचिकाकर्ता, स्वयं उपस्थित
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री राजेश जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री कामिनी जोशी द्वारा सहायता प्रदान की गई श्री विनित सनाढ्य श्री प्रियांशु गोपा के साथ

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

<u>आदेश</u>

<u>प्रकाशित करने योग्य</u>

<u>10/10/2024</u>

1. यह मामला आदेश VII नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से चुनाव याचिका खारिज करने की आवेदन पर आया है।

2. वर्तमान चुनाव याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

> *(i)* कि प्रतिवादी संख्या *1* और *3* से *5* के नामांकन को अस्वीकार किया जाए तथा विधानसभा चुनाव *2023* को रद्द घोषित किया जाए और प्रतिवादी संख्या *1* और *3* से *5* को अगले *6* वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।
>
> *(ii)* कि दिनांक *03.12.2023* के परिणाम और प्रतिवादी संख्या *1* के नामांकन को रद्द किया जाए और/या चुनाव को रद्द घोषित किया जाए तथा याचिकाकर्ता को विधानसभा क्षेत्र *176 (*नाथद्वारा*)* के विधायक पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाए और घोषित तिथि से *5* वर्षों के लिए निर्वाचित माना जाए।
>
> *(iii)* अन्य कोई आदेश या दिशा, जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित समझे। चुनाव याचिका के खर्चे प्रदान किए जाएं।

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

3. चुनाव याचिका में जो आधार प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 से 5 ने अपने नामांकन पत्रों के समर्थन में झूठे हलफनामे दायर किए और साथ ही कहा हलफनामों में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*; 2019 (3)* एससीसी *244* एवं भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य*; (2002) 5* एससीसी *294*** में जारी विशेष दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

4. आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह विशेष उल्लेख किया गया है कि चुनाव याचिका में न तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (जिसे आगे '1951 का अधिनियम' कहा गया है) के सेक्शन 100 और 101 के तहत कोई तथ्य या आधार दिखाई देता है और न ही 1951 के अधिनियम के सेक्शन 83 के अनुपालन में कोई कारण कार्यवाही दिखायी देता है। यह भी कहा गया है कि सम्पूर्ण याचिका/अर्जी में केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हलफनामे में गलत और असत्य विवरण दिए जाने की बात कही गई है, जबकि उसने चुनाव में भाग भी नहीं लिया था। प्रतिवादी संख्या 1, जो निर्वाचित प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ कोई भी गलत हलफनामा दायर किए जाने का कोई दावा नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ की गई बातें प्रतिवादी संख्या 1 के संदर्भ में कोई लाभ नहीं पहुँचातीं।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि यदि चुनाव याचिका में दी गई दलीलों को वैसे ही पढ़ा जाए, जैसा वह है, तो भी वे वर्तमान चुनाव याचिका को बनाए रखने के लिए कोई वाद-कारण नहीं दर्शाते हैं। चुनाव याचिका में केवल यही तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2, जो पति-पत्नी हैं, द्वारा प्रस्तुत आय के विवरण में विसंगति थी।

6. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि प्रस्तुत विवरणों को जैसा है वैसा ही लिया जाए, तो दोनों हलफनामों में याचिकाकर्ता द्वारा

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

लगाए गए किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त, यदि प्रतिवादी संख्या 2 के हलफनामे में कोई गलत विवरण दिया गया हो, तो भी चूंकि वह उम्मीदवार नहीं थी, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण इस चुनाव याचिका में विचारणीय नहीं हो सकता।

7. दूसरा आधार उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान चुनाव याचिका को पार्टियों के गलत सम्मिलन (गलत संयोजन) के आधार पर भी खारिज किया जाना चाहिए।

1951 के अधिनियम के सेक्शन 82 के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता यह मांग करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाए, तो सभी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को याचिका में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है; और यदि ऐसी कोई मांग नहीं होती तो केवल निर्वाचित प्रत्याशी को पक्षकार बनाया जाता है। इस मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 न तो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार थीं और न ही निर्वाचित प्रत्याशी। अतः उन्हें याचिका में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और इसलिये यह याचिका पार्टियों के गलत सम्मिलन के कारण खारिज की जानी चाहिए।

8. वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंत में कहा कि प्रथम, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के हलफनामों में कोई विसंगति नहीं है और द्वितीय, यदि मान भी लिया जाए कि कोई विसंगति है, तो सेक्शन 36(4) के अनुसार, 1951 के अधिनियम की कोई भी नामांकन पत्र उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है जो कोई महत्वपूर्ण दोष (पर्याप्त चरित्र) न हो।

9. अपने तर्कों के समर्थन में, अधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों के फैसलों पर निर्भरता जताई है:

(i) **रेहान अहमद *(4)* टीह्रदय. एल.आर.एस बनाम अख्तर उन निसा *(डी)* थ्री। एल.आर.एस*;* एआईआर *2024* एससी *2541,***

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

(ii) **कनिमोझी करुणानिधि बनाम ए संथाना कुमार और अन्य*;* एआईआर *2023* एससी *2366,*** और

(iii) **महावीर प्रसाद पारीक बनाम रामप्रताप कासलनिया और अन्य*; 2023 (4)* आरएलडब्ल्यू *3158 (*राज.*)***

10. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता, जो स्वयं उपस्थित हैं, ने कहा कि यदि कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव का परिणाम किसी नामांकन के अनुचित स्वीकृति से प्रभावित हुआ है, तो उस प्रत्याशी के चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1951 के अधिनियम की धारा 33 ए (2) के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार पर यह दायित्व है कि वह एक शपथपत्र (शपत पात्र) जो धारा 33 ए (1) में निर्दिष्ट जानकारी की पुष्टि करता हो, नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करे।

उपर्युक्त प्रावधानों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादियों संख्या 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पूर्णतः झूठे और गलत थे क्योंकि उनमें दी गई जानकारियाँ स्पष्ट रूप से भिन्न थीं, जबकि वे पति-पत्नी हैं, इसलिए उनकी जानकारी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी।

11. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का संबंध है, यह बताया गया है कि उन्होंने अपने हलफनामों में कुछ गलत जानकारी प्रस्तुत की है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने **किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत एवं अन्य*;* एआईआर *2014* एससी *2069*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 3 से 5 के नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किए गए थे और नामांकन पत्रों की उक्त अनुचित स्वीकृति के कारण, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।

12. याचिकाकर्ता और पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं।

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

13. इस मुद्दे का निर्णय करने से पहले कि क्या वर्तमान चुनाव याचिका चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करने का कोई कारण प्रस्तुत करती है और क्या प्रतिवादियों संख्या 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों में कोई विसंगति है जो गलत या झूठे शपथपत्र का निर्माण करती हो, याचिका में की गई दलीलों का अवलोकन आवश्यक है।

14. याचिका के पैराग्राफ नंबर 7 में प्रतिवादी संख्या 1, जो निर्वाचित प्रत्याशी है, के बारे में लिखा गया है:

> *"7.* भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नामांकन पत्र के भाग संख्या *3* में अपनी आयु *54* वर्ष दर्शाई है, जबकि नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची में उनकी आयु *56* वर्ष दर्शाई गई है। साथ ही, उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रमांक *4* में पैन कार्ड संख्या और क्रमांक *1* में उनका व्यक्तिगत नाम और हिंदू अविभाजित परिवार का स्थायी खाता संख्या क्रमांक *AAEHU8629Z* दर्शाया गया है, क्रमांक *2* में उनकी पत्नी महिमा कुमारी सिंह का पैन कार्ड संख्या और क्रमांक *3* में हिंदू अविभाजित परिवार का स्थायी खाता संख्या क्रमांक *AAEHU8629Z* दर्शाया गया है। जबकि उनकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक *2* के शपथ पत्र में उक्त कॉलम को शून्य अंकित किया गया है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक *1* और *2* पति-पत्नी हैं। दोनों ने एक ही दिन *03/11/2023* को स्टाम्प खरीदा और एक ही दिन, एक ही स्थान पर नोटरीकृत कराया, और दोनों के शपथ पत्र अलग-अलग, यानी वे झूठे हैं, तथ्यों को छिपाया गया है। प्रतिवादी संख्या *1* ने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का कुल मूल्य *50,72,499/-* रुपये और अपनी पत्नी का *22,99,000/-* रुपये बताया है और हिंदू विभाजित परिवार के कॉलम में, उसने वस्तुओं और आभूषणों का मूल्य *24,98,500/-* रुपये बताया है। जबकि उसकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में, उसने अपने पति की

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

कुल संपत्ति *75,70,999/-* रुपये और अविभाजित हिंदू परिवार के कॉलम में शून्य राशि दिखाई है, यानी उसने झूठा हलफनामा दायर करके तथ्यों को छिपाया है। इसके अलावा, उनके द्वारा कई तथ्य छिपाए गए हैं।

15. उपरोक्त दलीलों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिका के पैरा 7 में बताई गई एकमात्र कथित विसंगति यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के हलफनामों में दी गई आय और वस्तुओं तथा आभूषणों के मूल्य में भिन्नता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हलफनामे (अनुलग्नक-2) में दिए गए विवरण इस प्रकार हैं:

8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रुपयों के ब्योरे-						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
क.	जंगम आस्तियां	75,70,999/	22,99,000/	शून्य	1,20,000/	56,000/	लागु नहीं

स्वयं (प्रतिवादी संख्या 1) की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सकल मूल्य 75,70,999/- रुपये, उनकी पत्नी का 22,99,000/- रुपये, उनके हिंदू अविभाजित परिवार का 'शून्य', आश्रित संख्या 1 (पुत्री) का 1,20,000/- रुपये और आश्रित संख्या 2 (पुत्र) का 56,000/- रुपये दर्शाया गया है।

16. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हलफनामे (अनुलग्नक-3) में दिए गए विवरण निम्नानुसार हैं:

8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रुपयों के ब्योरे-						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
क.	जंगम आस्तियां	22,99,000/	75,70,999/	शून्य	1,20,000/	56,000/	लागु नहीं

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

उनके हलफनामे के अनुसार, उनकी स्वयं की परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन 22,99,000/- रुपये, उनके पति की 75,70,999/- रुपये, हिंदू अविभाजित परिवार की शून्य, आश्रित संख्या 1 की 1,20,000/- रुपये और आश्रित संख्या 2 की 56,000 रुपये दर्शाया गया है।

17. उपरोक्त विवरणों की तुलना करने पर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं है

प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् पति ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन 75,70,999/- रुपये दर्शाया है और प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् पत्नी ने भी अपने पति के लिए उक्त मूल्यांकन 75,70,999/- रुपये दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी के लिए संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन 22,99,000/- रुपये दर्शाया है और प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपनी संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन 22,99,000/- रुपये दर्शाया है।

18. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के बैंक खाता संख्या का उल्लेख और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसका उल्लेख न करने का संबंध है, उसे भी कोई विसंगति नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त कॉलम में केवल कर्ता या सहदायिक के मामले में ही इसका उल्लेख करने का स्पष्ट प्रावधान है। स्पष्टतः, प्रतिवादी संख्या 2, जो कि पत्नी है, को प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् उसके पति के संयुक्त हिंदू परिवार का न तो कर्ता कहा जा सकता है और न ही सहदायिक।

उपरोक्त कथित विसंगतियों के अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाने या गलत बयान देने का कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया है। केवल एक अस्पष्ट कथन दिया गया है कि कुछ अन्य तथ्य छिपाए गए हैं, जिन पर स्पष्ट विवरण के अभाव में विचार या निर्णय नहीं किया जा सकता।

19. उपरोक्त स्पष्ट तथ्यों और इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर हलफनामों में याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं बताई जा सकी, इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रतिवादी संख्या 1, निर्वाचित

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

उम्मीदवार द्वारा दायर नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास कोई आधार उपलब्ध नहीं था।

20. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय करते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05.12.2023 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच किए जाने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई थी। जैसा कि दिनांक 05.12.2023 के आदेश से परिलक्षित होता है, नामांकन पत्र की जांच के लिए निर्धारित तिथि 07.11.2023 थी जबकि याचिकाकर्ता द्वारा आपत्तियां 25.11.2023 को उठाई गई थीं।

हालाँकि, योग्यता के आधार पर भी, रिटर्निंग ऑफिसर ने 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ने और उसे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित, नोटरीकृत और प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए यह माना कि उम्मीदवारों के हलफनामों में उक्त सभी शर्तों का पालन किया गया था। इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र को वैध माना और 1951 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान या चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराया।

21. उपरोक्त तथ्यों और टिप्पणियों के मद्देनजर, इस न्यायालय का यह भी स्पष्ट मत है कि 1951 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान या **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के मामले *(सुप्रा)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

22. जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि ऐसा कोई भी तथ्य, चाहे वह कुछ भी हो, प्रतिबिम्बित/प्रतिपादित नहीं किया गया है जिसे 1951 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान या **पब्लिक इंटरेस्ट**

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

फाउंडेशन के मामले *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कहा जा सके, जिससे वर्तमान चुनाव स्थिति निर्धारित करने के लिए वाद का कारण बने।

23. जैसा कि कानून की स्थापित स्थिति है, किसी भी तुच्छ मुकदमे को शुरू से ही रोक देना चाहिए, और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई भी राहत, जिसकी प्रार्थना की गई है, प्रदान नहीं की जा सकती, तो आदेश VII नियम 11, सीपीसी के अनुसार वाद को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल *(2017) 13* एससीसी *174*** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *8.* यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं तो आदेश *VII* नियम *11* के अंतर्गत वादपत्र खारिज किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश *VII* नियम *11* के अंतर्गत वाद के किसी भी चरण में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे केवल वादपत्र के कथन हैं। यदि वादपत्र के संपूर्ण और अर्थपूर्ण वाचन से यह पाया जाता है कि वाद स्पष्ट रूप से कष्टदायक और वाद दायर करने के किसी भी अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में निराधार है, तो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश *VII* नियम *11* के अंतर्गत वाद को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि न्यायालय को दीवानी कार्रवाई को आरंभ में ही समाप्त करने की शक्ति अत्यधिक कठोर है, इसलिए वादपत्र को खारिज करने की शक्ति के प्रयोग हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश *VII* नियम *11* के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वादपत्र के कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कथन वाद-कारण का खुलासा करते हैं या क्या वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न कि क्या वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लिखित बयान में कथन और साथ ही

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

> प्रतिवादी की दलीलें वाद को खारिज करने के प्रतिवादी के अनुरोध पर विचार करते समय पूरी तरह से महत्वहीन हैं। यहां तक कि जब वाद में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर समग्र रूप से सही माना जाता है, अगर वे दिखाते हैं कि वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो वाद को खारिज करने के आवेदन पर विचार किया जा सकता है और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश *VII* नियम *11* के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वाद के चतुराई से तैयार किए गए प्रारूप ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो अदालत इसे जल्द से जल्द जड़ से खत्म कर देगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी पहले चरण में ही समाप्त हो जाए।

24. इसके अलावा, इस न्यायालय की स्पष्ट राय है कि वर्तमान चुनाव याचिका पर इस आधार पर भी विचार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई दोनों राहतें उसे प्रदान नहीं की जा सकतीं। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, ऐसे मामले में जहां वाद में मांगी गई कोई भी राहत वादी को कानून के अनुसार प्रदान नहीं की जा सकती, ऐसे मुकदमे को जारी रखने और सुनवाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मुकदमे को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए। उक्त दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजेंद्र बाजोरिया एवं अन्य बनाम हेमंत कुमार जालान एवं अन्य*; (2022) 12* एससीसी *641*** के मामले में निर्धारित अनुपात से समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि की थी, जो इस प्रकार थे:-

> *"(32)* न्यायालय को क्या करना चाहिए यदि वह पाता है कि वादपत्र में दिए गए कथनों को अंकित मूल्य पर लेने पर भी, वादपत्र में दावा की गई किसी भी राहत को प्रदान नहीं किया जा सकता है? क्या न्यायालय को पक्षकारों को मुकदमे के लिए भेजना चाहिए? हमें नहीं लगता। यह व्यर्थ की कवायद होगी। यह वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होगी और साथ ही न्यायालय का समय भी अनावश्यक रूप से नष्ट होगा। प्रतिवादियों को भारी खर्च

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

> के साथ मुकदमे की सामान्य रूप से लंबी चलने वाली प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा, मुकदमे के कारण होने वाली चिंता और मन की अशांति की तो बात ही छोड़ दें, जो डैमोकल्स की तलवार की तरह सिर पर लटकी रहती है। मुकदमे को मुकदमे में आगे बढ़ने देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि वादपत्र में दी गई दलीलों के आधार पर तैयार की गई प्रार्थनाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती। वादी ने वादपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं मांगी है। जब न्यायालय केवल वादपत्र को पढ़कर और वादपत्र में दिए गए कथनों को यह सही है कि दावा किए गए किसी भी अनुतोष को कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि वादी ऐसे अनुतोष का दावा करने के हकदार नहीं हैं। न्यायालय को वादपत्र को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि इसमें वाद-कारण का कोई खुलासा नहीं किया गया है। वादपत्र में दावा किए गए अनुतोष, वादपत्र में अभिवचन किए गए वाद-कारण से उत्पन्न होते हैं और उसकी परिणति होते हैं। अभिवचन किया गया वाद-कारण और वादपत्र में की गई प्रार्थनाएँ एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान मामले में, अभिवचन किया गया वाद-कारण और दावा किए गए अनुतोष देश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। ऐसे वाद को सुनवाई के लिए जीवित नहीं रखा जाना चाहिए...

25. **अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी*; 1986* सप *315*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदेश 7 नियम 11, सीपीसी के प्रावधान के तहत शक्तियों के प्रदत्त का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमेबाजी जो निरर्थक है, और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे न्यायालय के न्यायिक समय को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, निम्नलिखित शब्दों में:

> *"12....* ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मुकदमा जो निरर्थक हो और निष्फल सिद्ध होने वाला हो, उसे न्यायालय का समय न लेने दिया जाए और प्रतिवादी के विवेक का उपयोग न किया जाए। बिना किसी उद्देश्य या उद्देश्य के, उसके सिर पर डैमोकल्स की तलवार अनावश्यक रूप से लटकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण दीवानी मुकदमे में भी, न्यायालय

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

किसी वाद को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग सहजता से कर सकता है, यदि उसमें वाद का कोई कारण स्पष्ट न हो।"

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात की कसौटी पर, जहाँ तक प्रथम अनुतोष का संबंध है, पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही विस्तृत विश्लेषण किया जा चुका है और इसलिए, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ तक प्रार्थना संख्या 2 का संबंध है, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि न तो वह वह उम्मीदवार है जिसे वैध मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है और न ही उसने यह तर्क दिया है कि निर्वाचित उम्मीदवार ने भ्रष्ट आचरण से कोई मत प्राप्त किया है और यदि उक्त मत/मत न होते, तो याचिकाकर्ता को वैध मतों का बहुमत प्राप्त होता। इसलिए, याचिकाकर्ता को अधिनियम 1951 की धारा 101 के अनुसार अन्यथा निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता।

एक आवश्यक उपपरिणाम के रूप में, अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किए गए हैं, इसलिए उनका भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए, जहाँ तक वर्तमान याचिका का संबंध है, यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नामांकन प्रपत्रों से संबंधित मुद्दे की जाँच करने के लिए इच्छुक नहीं है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात और उपरोक्त विश्लेषण एवं टिप्पणियों के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान चुनाव याचिका, प्रथमतः इस आधार पर खारिज की जाती है कि इसमें वाद हेतु कोई कारण नहीं बताया गया है और द्वितीयतः, वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत संख्या 2 भी याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की जा सकती।

(रेखा बोराना), जे

914-एसपी/विज/-

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(27/05/2025 को 02:41:52 PM पर डाउनलोड किया गया)